न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—09 / 2021(जीसीएमएस नम्बर 2021 / 106)

01. रामजीलाल पुत्र श्योराम, जाति गुर्जर, निवासी झीडा, तहसील बानसूर, जिला अलवर।
02. रामसिंह पुत्र श्योराम जाति गुर्जर निवासी झीडा, तहसील बानसूर जिला अलवर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. खेमचन्द पुत्र रामकरण,
02. सतपाल पुत्र हरीराम,
03. हवासिंह पुत्र हरीराम,
04. सुमन नाबालिंग पुत्र हरीराम व सरपरस्त माता मिसरो,
05. मिसरो पत्नि हरीराम, जाति गुर्जर निवासी ग्राम झीडा, तहसील बानसूर जिला अलवर वारिसान मृतक रामकरण पुत्र सोहन।

——असल रेस्पोडेन्ट्स

06. प्रहलाद पुत्र पदमा,
07. रामकरण पुत्र प्रहलाद,
08. तोताराम पुत्र प्रहलाद,
09. भीमसिंह पुत्र अर्जुन,
10. सावित्री देवी पत्नि रामनिवास, जाति गुर्जर, निवासी झीडा तहसील बानसूर जिला अलवर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री विजय सिंह राठौड एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2020 अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पीछे से बाला—बाला पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स की कोई तामिल विधिवत नही हुई है। दिनांक 04.05.2021 को कोरोना काल के दौरान पटवारी हल्का आराजी मुतनाजा पर गये और उन्होने बताया कि उपखण्ड अधिकारी बानसूर के आदेश के तहत आराजी मुतनाजा की पैमाईश व पत्थरगढ़ी करने आऐ है जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 21.06.2021 को अधीनस्थ न्यायालय से जानकारी हांसिल की जिस पर पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.10.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसकी नकल हेतु दिनांक 22.06.2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो नकल दिनांक 22.06.2021 को आखिरी समय मिल पाई तत्पश्चात् वकील साहिबान से सलाह मशोहरा किया गया जिन्होने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील करने की सलाह दी। जिस पर यह अपील अविलम्ब

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया हालाकि जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी रफाये उज्जत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट के पिता रामकरण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया गया जिसमें अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को पक्षकार बनाया गया लेकिन किसी भी पक्षकार की कोई तामिल नही करवाई गई, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तामिल जारी ही नही की गई जबकि कानूनन पक्षकारान की तामिल कराया जाना और उन्हे विधिवत साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही किया गया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.09.2020 से स्पष्ट है कि पत्रावली में दिनांक 21.09.2020 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.11.2020 नियत की गई थी लेकिन बराह बदयान्ती असल रेस्पोडेन्ट के पिता रामकरण ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त तारीख पेशी को दिनांक 09.11.2020 के बजाय दिनांक 19.10.2020 करवा ली और दिनांक 08.10.2020 को ही एकतरफा के आदेश अधीनस्थ न्यायालय से करवा लिये जबकि कानूनन दिनांक 08.10.2020 की कोई जानकारी अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को नही थी और ना ही दिनांक 08.10.2020 के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी किये गये और समस्त कार्यवाही अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की पीठ पीछे व बाला–बाला की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट रामकरण के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसके इश्तदुआ नम्बर 1 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि पत्थरगढी पैमाईश दिनांक 01.06.2016 के आधार पर या उन खसरा नम्बरान की पुनः पैमाईश कर पुनः पत्थरगढ़ी मुस्तकील तौर पर करवाई जावें। ऐसे में जब स्वयं प्रार्थी रामकरण सभी खसरा नम्बरान की पैमाईश कराने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल खसरा नम्बर 263 की ही पैमाईश कराया जाना अपने आप में सन्देहास्पद है जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 3.64 हैक्टयर भूमि के 22 खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी रामकरण पुत्र सोहन भी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में केवल अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स को ही पक्षकार बनाया गया शेष सहकाश्तकारान को पक्षकार ही नही बनाया गया। इस वजह से भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 262 व 263 के सम्बन्ध में एक वाद रामजीलाल बनाम रामकरण व एक वाद धन्शी बनाम रामकरण विचाराधीन है जिसमें दिनांक 26.10.2015 को आराजी खसरा नम्बर 262 के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित किया गया था जो अभी तक

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रभावशील है और उसका नोट भी जमाबन्दीयों में लगा हुआ है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि उक्त स्थगन आदेशों की सर्म्पूण जानकारी रामकरण पुत्र सोहनलाल को शुरू से ही थी लेकिन उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2020 में सारे तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए व छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें भी है जिनमें अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तलबी में दिनांक 21.09.2020 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.11.2020 नियत की गई थी तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज रामकरण द्वारा दिनांक 08.10.2020 को प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली तलब कर तारीख पेशी दिनांक 19.10.2020 नियत की गई और दिनांक 19.10.2020 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की बिना सम्यक् तामिल के ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/1/24

अति.संभागीय आयुक्त,